For More Practice Sets, Visit Our Website
www.typingwarriors.com

1. **केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, (1973) 4 225** के ऐतिहासिक मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ससंविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन शक्ति की सीमाओं को परिभ्ाषित किया है । संविधान की मूल संरचना को नहीं बदला जा सकता । इस फैसले ने भ्ारतीय लोकतंत्र को स्थिर बनाए रखने में महप्वपूर्ण भूमिका निभाई । One line missi

2. इस फैलले में मुख्य न्यायाधीश सीकरी और 13 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने यह स्पष्ट किया कि लोकतंत्र, कानून का शासन और शक्तियों का पृथक्करण संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं । उन्होनें कहा कि संविधान का मूल ढांचा किसी भी संशोधन से अछूता रहना चाहिए । यह सिद्धांत संसद और न्यायपालिका केबीच शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है ।

3. न्यायमूर्ति खन्ना ने अपने निर्णय में कहा कि, *संविधान में संशोधन की शक्ति व्यापंक किन इसे ऐसे प्रयोग नहीं किया जा सकता जो संविधान के बुनियादी तत्वों को नष्ट कर दे* । उन्होंने यह भी कहा कि संविधान का हर प्रावधान (1) *Equality* और *Justice* की भ्ावना के अनुरूप होना चाहिए ।

4. यह फैसला भरतीय लोकतंत्र और निागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मी का पत्थर है । इसने यह सुनिश्चित किया कि ***संवधान की आत्मा*** को किसी भी परिष्थिति में खतरे में नहीं डाला जा सकता । यह न्यायपालिका की भूमिका को लोकतंत्र का संरक्षक मानते हुए तजबूत करता है । यह निर्णय आज भी संविधान की व्याख्या और विकास में मार्गदर्शक बना हुआ है ।

[redacted]

One line missing [redacted] line space

www.typingwarriors.com